प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,वित्त
एवं वित्त आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 09 अप्रैल, 2018

विषय- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों का अवकाश वेतन पैतृक विभाग से आहरित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/लेखा/2017-18/12630,दिनांक 13-03-2018 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि मिशन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश लिए जाने पर वर्तमान सेवा शर्तों के अनुसार चूंकि उनका मूल वेतन पैतृक विभाग से आहरित होना होता है अत: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन का भुगतान प्रतिनियुक्ति विभाग से ही किये जाने हेतु शासनादेश में अपेक्षित संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उपर्युक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि कतिपय संस्थाओं में वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर तैनाती की स्थिति में शासनादेश संख्या-जी-1-885/दस-2006-534(।।)-93, दिनांक 09-।।-2006 द्वारा सम्बन्धित शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का अवकाश वेतन वाह्य सेवायोजक द्वारा ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है। जो संस्थायें उक्त शासनादेश से आच्छादित नही हैं उनमें वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्त पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन के भुगतान में होने वाली कठिनाई का निराकरण किया जाना आवश्यक है।

3- अतएव वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त वाह्य सेवा पर तैनात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियेां द्वारा उपयोग किये गये अवकाश के लिए नियमानुसार देय अवकाश

-2/

वेतन का भुगतान वाह्य सेवा योजक द्वारा किया जायेगा परन्तु जिस संस्था में सरकारी सेवक वाहय सेवा पर तैनात है उसके द्वारा यदि वित्तीय संसाधनों की कमी के चलते

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अवकाश वेतन भुगतान की असमर्थता व्यक्त की जाती है तो अवकाश वेतन का भुगतान सम्बन्धित सरकारी सेवक के पैतृक विभाग द्वारा पूर्ववत् किया जायेगा।

4- उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझें जायेंगे एवं शासनादेश संख्या-जी-1-260/दस-2001-201-2001, दिनांक 05-05-2001 के प्रस्तर-12 के अनुसार जो सेवा शर्तें निर्गत हो चुकी है उनको भी इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(संजीव मित्तल)

प्रमुख सचिव,वित्त

एवं वित्त आयुक्त

संख्या-जी-1-41/ दस-201दस-2018-201-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव,उ0प्र0शासन।

2- निदेशक,पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।

3- समस्त कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी,उ0प्र0।

4- समस्त वित्त नियंत्रक उत्तर प्रदेश।

5- इरला चेक अनुभाग।

6- अपर निदेशक कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय इलाहाबाद।

7- निदेशक,वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवे शोध संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।

8- विधान सभा/ विधान परिषद सचिवालय ।

9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।